स्टेट बनाम राजेन्द्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28/8/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी बावजुद विधिवत सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं। इसलिये प्रतिवादीगण के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में ली जाती है। राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 403/2, 396/2 की 0.253 है. भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जिप्सम का खनन किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादीगण को कृषि कार्य हेतु दी गई है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से जिप्सम खनन किया जा रहा है। अतः वादी वादी डिकी किया जाता है तथा रोही मौजा बरमसर के ख.नं. 403/2, 396/2 की 0.253 है. भूमि को आराजीराज दर्ज की जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बैदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 28/8/2024 को सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.31 16:29:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner